

फर्द अहकाम

बनाम जगदीश

महेश

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या.....08...../2024 ज.प.ड.टी

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13.10.25	<p>पडावली भोज मन्थ न्यायालय R.A.I जयपुर के पत्रांक आरएए/2025/10033 दिनांक 24.9.25 के द्वारा प्राप्त हुई। मन्थ न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 03.9.25 के द्वारा निर्देशित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय दोनों पक्षों सूचित कर सुनवाई करते हुए (पे के प्रावधानों के अनुसरण कर व्यक्तिगत विवेचनात्मक भाँपस धारित करें। तब तक दोनों पक्षों विवक्षित अंशों की मौका व रिजर्व की व्यवस्था बनाई रखें। पक्षकारण दिनांक 26.9.25 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पडावली प्राप्त होने पर रिपोर्ट परिल्लाली गई। पडावली मूल वाद के साथ दिनांक 7.11.25 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>
	15/10/25	<p>पडावली माफ साक्षी / पडावली माफ माफपत्र के उ.प.ड. जगदीश किशोर के माफ की तन्त्र का फ्रेम कले पर तन्त्र उभरने प्रार्थी एवं प्रार्थी Adm के आदेशिका पर एसाइट का उ.प.ड. T.S. के आगे उभरने का विषय रही</p>

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

फर्द अहकाम

ग्रेस बनाम जगदीश

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

दिनांक 10/08/2024 य 9) 0 पर त.ि.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
(प्रमाणिक)	<p>चाहते हैं कि वे उन कि पात्र अपात्री कि 01 के अधु के इस हेतु प्रकृति के आदेशिका पर हस्ताक्षर किने। कल कड पर खालि हो चुका है। कत! जर्नी के जगदीश अधु का कि वे 50 प्रमाणिक पर उ. पर त.ि. इली स्तर पर विडो का खालि वि जाती है। प्रमाणिक के लिये प्रमाणिक के पर नम्बर के कड है कड दाखिल इकरा है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)